श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–282 / 2026
(सौरबाजार थाना कांड संख्या–58 / 2026)
धारा–126(2), 115(2), 125, 74, 352, 351(2) B.N.S.

1. सुकुमार यादव उम्र करीब 65 वर्ष पिता–स्व.लाल कृष्ण यादव
2. सुजीत कुमार उम्र करीब 32 वर्ष पिता–सुकुमार यादव
साकिनान– चन्दौर, वार्ड नं.04, थाना–सौरबाजार,
जिला–सहरसा.....आवेदकगण

बनाम

1. बिहार सरकार .....विपक्षी

25.04.2026

आवेदक / अभियुक्तगण 1. सुकुमार यादव एवं 2. सुजीत कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन याचिका पर बचाव पक्ष तथा अभियोजन का पूर्ण बहस सुना। प्रस्तुत वाद सूचिका काला देवी के द्वारा सौरबाजार थाना को दिए गए लिखित आवेदन पर प्रारंभ हुआ जिसमें उसने कथन किया है कि दिनांक–19.02.2024 को शाम के 5.00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री सुरूची कुमारी उम्र लगभग 08 वर्ष अपने घर के छत पर खेल रही थी, इसी दौरान हथियार से लैश होकर मनीष कुमार, सुकुमार यादव, सुजीत कुमार उसके छत पर जबर्दस्ती चढ़ गए और हथियार का भय दिखाकर उसके बच्ची का अपहरण करने लगे और हल्ला करने पर अश्लील हरकत करते हुए जान मारने के नीयत से उसे उठाकर छत से नीचे फेंक दिए जिससे उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल और जख्मी हो गयी। उसके बाद तब ये लोग इनके साथ भी गाली–गलौज और मारपीट किए।

जमानत आवेदन को संचालित करते हुए आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उभय पक्ष पड़ोसी हैं और वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटी है तो मामले को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया है। उनका यह भी कथन है कि सूचक ने अपने पुनः बयान में भी बच्ची के साथ छेड़छाड़ तथा अश्लील हरकत करने की कोई बात नही की है। इनके द्वारा य भी कथन किया गया कि इस वाद में जो जख्म प्रतिवेदन आया है उसमें जो जख्म है वह सामान्य प्रकृति की है। इसलिए अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाय।

श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–282 / 2026
(सौरबाजार थाना कांड संख्या–58 / 2026)

–लगातार–
25.04.2026

अभियोजन के द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पया कि उभय पक्ष एक दूसरे के पड़ोसी हैं और बच्ची के साथ मारपीट की घटना घटने की बात सभी साक्षियों ने कहा है। केस डायरी के पैरा–7,8 में साक्षियों ने यह कथन किया है कि सूचिका की लड़की अपने भाई के साथ रखे गिट्टी के साथ खेल रही थी। खेलने के क्रम में कुछ गिट्टी बगल के घर में गिर गया जो अभियुक्त का है। इसी बात से नाराज होकर अभियुक्तगण वादिनी के छत पर गया और सुरूची कुमारी के गला में हाथ लगाकर छत से फेंक दिया जिससे वह पडोसी अभियुक्त के आंगन में जा गिरी, फिर वही पर खड़े अभियुक्त मनीष कुमार, सुकुमार यादव लाठी से उसे मारने लगा।

यद्यपि कि सूचिका से छेड़छाड़ करने की बात किसी साक्षी ने नही कहा है लेकिन सभी साक्षियों ने यह कहा है कि सूचिका की 8 वर्षीय लडकी को अभियुक्तगण छत से फेंक दिया और गिरने के बाद भी उसके साथ मारपीट किए हैं। अभियुक्तों के द्वारा 08 वर्षीय छोटी बच्ची के प्रति किए गए इस अमानवीय कार्य को देखते हुए मैं उसे अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करना उचित नहीं समझता हूं। इसलिए इनका अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम